



सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय

राष्ट्रपति ने संविधान के अनुच्छेद 340 के अंतर्गत अन्य पिछड़े वर्गों के उप-वर्गीकरण के परीक्षण के लिए आयोग की नियुक्ति की

Posted On: 02 OCT 2017 11:04AM by PIB Delhi

राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने आज संविधान के अनुच्छेद 340 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अन्य पिछड़े वर्गों के उप-वर्गीकरण के परीक्षण के एक आयोग की नियुक्ति की है। महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर लिया गया यह निर्णय गांधी जी की शिक्षा के अनुरूप सरकार के सभी को सामाजिक न्याय दिलाने के लक्ष्य को प्राप्त करने और विशेष तौर पर अन्य पिछड़े वर्ग के सदस्यों सहित सभी को सम्मिलित करने के प्रयास को दर्शाता है। अन्य पिछड़े वर्गों का उप-वर्गीकरण अन्य पिछड़े वर्ग समुदाय में अधिक पिछड़े लोगों को शैक्षणिक संस्थानों और सरकारी नौकरियों में आरक्षण का लाभ सुनिश्चित करेगा। आयोग के गठन निम्नानुसार होगा-

1. अध्यक्ष- न्यायमूर्ति(सेवानिवृत्त)- जी.रोहिणी
2. सदस्य- डॉ. जी.के बजाज
3. सदस्य(पदेन) -निदेशक, भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण
4. सदस्य(पदेन)-महारजिस्ट्रार और जनगणना आयुक्त
5. आयोग के सचिव- संयुक्त सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय

आयोग का संदर्भ निम्नलिखित हैं-

1. केंद्रीय सूची में शामिल संदर्भ सहित अन्य पिछड़े वर्गों की श्रेणी में सम्मिलित जातियों और समुदायों को प्राप्त आरक्षण के लाभ के असमान वितरण की सीमा का परीक्षण
2. ऐसे अन्य पिछड़े वर्गों के उप-वर्गीकरण के लिए वैज्ञानिक पद्धति द्वारा प्रक्रिया,मानदंड,मानक और मापदंड निर्धारित करना और
3. अन्य पिछड़े वर्गों की केंद्रीय सूची में संबंधित जातियों और समुदायों और उप-जातियों की पहचान करना और उन्हें संबंधित उप-श्रेणियों में सूचीबद्ध करना

आयोग अपनी रिपोर्ट अध्यक्ष के पदभार ग्रहण करने के 12 सप्ताह के भीतर राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत करेगा।

आयोग की रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद केंद्र सरकार अन्य पिछड़े वर्गों के सभी वर्गों को केंद्र सरकार की नौकरियों और केंद्रीय शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश के लिए आरक्षण के लाभ के समान वितरण के लिए प्रक्रिया प्रारंभ करेगी।

वीएल/एजे/पीबी-4005

(Release ID: 1504560) Visitor Counter : 43

